© INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS
Refereed & Peer Reviewed International Journal
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 09 , Issue : 02 | January - March 2023

SPECIAL EDITION: INTERNATIONAL CONFERENCE
Lala Hansraj Puthela College of Law Sirsa

दलित महिलाओं के मानवाधिकारों का विश्लेषणात्मक अध्ययनः हरियाणा राज्य के संदर्भ में।

नेहा रानी
पी. एच. डी (शोधार्थी)
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय
मेरठ, उत्तर प्रदेश
E-mail: nehaneval75@gmail.com

प्रोफेसर गुंजन त्रिपाठी
विभागाध्यक्ष, राजनीतिक विज्ञान
मुन्ना लाल खेमका गर्ल्स कॉलेज,
सहारनपुर
माँ शांकुभरी यूनिवर्सिटी,
सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

शोध सार
वर्तमान समय में मानवाधिकारों पर बल दिया जा रहा है अधिकार मानव जीवन के संपूर्ण विकास के लिए जरूरी होते हैं कोई भी व्यक्ति बिना अधिकारों से अपने जीवन का विकास नहीं कर सकता। लास्की के इस कथन से असहमत होना कठिन है **"कि अधिकार मानव जीवन की वे परिस्थितियाँ है जिनके बिना आमतौर पर कोई व्यक्ति सर्वोत्तम रूप पाने की आशा नहीं कर सकता"।** वर्तमान युग लोकतंत्र और संविधानवाद का है और प्रत्येक राज्य द्वारा अपने क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को अधिकार अवश्य प्रदान किए जाते हैं जिनका उपयोग नागरिक विधिगत सीमा में रहकर करते हैं।[1] विभिन्न देशों के संविधानों व कानूनों में महिला एवं पुरूष के लिए समान अधिकार की बात कही गई है लेकिन उसके बाद भी आज महिलाओं के हित और अधिकार सुरक्षित नहीं है। भारतीय समाज में नारी आबादी का लगभग आधा हिस्सा है और देश की आधी आबादी को भागीदारी मुहैया कराए बिना देश की समृद्धि, सुदृढ़ता, सामाजिक संरचना और संपूर्ण विकास असंभव लगता है। विकासशील देश जैसे भारत, मुस्लिम देश आदि में महिला। उत्पीड़न की खबरें आए दिन देखी जा सकती है[2]। महिला वर्ग में ही दलित महिलाओं की स्थिति गैर–दलित महिलाओं की स्थिति से भी ज्यादा खराब है क्योंकि उन्हें समाज में तिहरे शोषण का शिकार होना पड़ता है लिंग, जाति और गरीबी। दलित महिलाओं को समाज में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसी वजह से दलित महिलाएँ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में कमजोर होती है और अपना विकास नहीं कर पाती। दलित महिलाओं को समाज में लिंग, जाति व गरीबी के कारण दलित पुरूशों के साथ साथ उचच जाति के पुरूषों द्वारा भी प्रताड़ित किया जाता है शिक्षा का स्तर कम होने की वजह से ये महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो पाती जिस वजह से समाज में आज भी इनकी स्थिति में अधिक सुधार नहीं हुआ है इस संदर्भ में यह शोध पत्र हरियाणा में दलित महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण और उनकी सामाजिक स्थिति का विश्लेषण करता है।

बीज शब्दः दलित महिला, मानवाधिकार, सामाज, संविधान, शोषण।

मूल आलेख

भारतीय समाज में जाति शब्द किसी की भी स्थिति तय करने का निर्धारण तत्व माना जाता है और इसी जाति के आधार पर दलित समुदाय देश में सबसे अधिक उत्पीड़ित और शोषित वर्ग रहा है[3] दलितों को परंपरागत तौर से ही नीच जाति का माना गया है और अछूत कह कर संबोधित किया जाता है दलित समुदाय को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक रूप से भेदभाव झेलना पड़ता है भारत में अनुसूचित जाति, जन जाति को दलित वर्ग में शामिल किया जाता है और इसी वजह से दलित वर्ग को शुद्र भी कहा जाता है। दलित शब्द का प्रयोग पहली बार 19वीं शताब्दी में समाज सुधारक और क्रांतिकारी महात्मा ज्योतिबा फूले ने बहिष्कृतो और अछूतों को भारतीय जाति व्यवस्था की उत्पीड़ित और कुचले हुए पीड़ितों के रूप में वर्णित करने के लिए किया।[4] भारतीय संविधान में दलित समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए कई प्रावधान शामिल किए गए हैं लेकिन समाज में जारी हिंसा की वजह से दलित और दलित महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए बनाएं गये संवैधानिक प्रावधान और प्रशासनिक तंत्र भी विफल होने लगे हैं। आंकड़े बताते हैं कि हर मिनट में दलित के खिलाफ अपराध होते हैं हर दिन तीन दलित महिलाओं के साथ बलात्कार, दो दलितों की हत्या और घरों में तोड़फोड़ की जाती है दलित महिलाएँ ऐतिहासिक रूप से गरीब, शोषित और मानव अधिकारों से वंचित है दलित महिलाओं को समाज में तिहरे शोषण का सामना करना पड़ता है लिंग, जाति और गरीबी। आधुनिक युग में भी ज्यादातर दलित महिलाएँ वंशानुतन रूप से असंगठित क्षेत्र में सफाई कर्मचारी, भूमिहीन मजदूर, घरेलू

---

1 से अनुकूलित – ''मानवाधिकार और कर्त्तव्य'', पेज–1, प्रकाश नारायण नाटानी, 2003, जयपुर, पब्लिशर।

2 से अनुकूलित – ''भारतीय समाज एवं मानवाधिकार'', पेज –94, अनीता कोठारी, 2010, जयपुर, पब्लिकेशन।

3 से अनुकूलित – ''ए स्टडी ओन इश्यू एंड चैलेंज इन द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ दलित वीमेन इन इंडिया'', डॉ. एन. के. भुवनेश्वरी, डॉ. एस. प्रभु, फरवरी 2020, द इंटरनेशनल जनरल ओफ एनालिटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल मॉडल एनालिसिस, वॉल्यूम–XII इश्यू–II पेज –1026–1027 https://www.researchgate.net/publication.

4 से अनुकूलित – ''ह्यूमन राइट पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन दलित'', उत्तम कुमार, एस. बागड़े, 2020, जर्नल ऑफ लॉ एंड कॉनफ्लीकट रैजुलयुशन, वाल्यूम–b11(2) – पेज –26–32 https://academicjournals.org/journal/JLCR/article-full-text-pdf/CF4D40964938

© INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS
Refereed & Peer Reviewed International Journal
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 09 , Issue : 02 | January - March 2023
SPECIAL EDITION: INTERNATIONAL CONFERENCE
Lala Hansraj Puthela College of Law Sirsa

नौकर, मजदूर के रूप में काम करती है और वहाँ भी दलित महिलाओं को दलित होने की वजह से मौखिक दुर्व्यवहार, शारीरिक शोषण, यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है।[5]

''दलित'' कौन है

दलित के अर्थ को अस्पृश्य समाज से लिया गया है एक ऐसा वर्ण जिसमें सामाजिक व्यवस्था में निचला और अशुभ माना जाता है ईशा गंगानीया दलित शब्द का वर्णन करते हुए कहती है, ''कि दलित जो अधिक दबाये गये तथा असीमित धिक्कारे, प्रताड़ित किए गए हैं जिनके साथ अमानवीय कृत्य किये गये हैं जिनका निरंतर शोषण किया गया है ये वर्ग दलित है'' सामाजिक असमानता, अस्पृश्यता, प्रताड़ना की प्रथा ने इस समुदाय की स्थिति को और भी ज्यादा दयनीय बना दिया है इस दयनीयता से दलन प्रारंभ हुआ और यह दलन समय के साथ दलित बन गया। आज के समय में यह वर्ग दलित के रूप में उभरकर आया इस प्रकार दलित का अर्थ दलितदर दरिद्र, गया बीता, निम्न कोटि का माना जाता है।[6]

अध्ययन का उद्देश्य

1. हरियाणा में दलित महिलाओं की सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन करना।
2. दलित महिलाओं के बीच बुनियादी आवश्यकताओं, साक्षरता दर, गरीबी व बेरोजगारी के स्तर का अध्ययन करना।
3. दलित व महिलाओं के लिए संविधान में वर्णित प्रावधानों का मूलयांकन करना है।

शोध प्रविधि

यह शोध पत्र तथ्यों के संकलन व विश्लेषण पर आधारित है इससे संबंधित तथ्यों के संकलन के लिए द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है जैसे विभिन्न पुस्तकों, विभिन्न प्रकाशित स्त्रोतों, जनगणना रिपोर्ट, शोध पत्र, हरियाणा के सांख्यिकी सार, जर्नल आदि।

हरियाणा में दलित महिलाओं की स्थिति

हरियाणा भारत का 17 राज्य 1 नवम्बर 1966 को पंजाब से अलग होकर बना था। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या 2,53,51,462 है जो भारत की कुल जनसंख्या का 20.09 प्रतिशत है हरियाणा राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की कुल जनसंख्या 51,13,656 है जिनमें से पुरूष 27,09,656 और महिलाएँ 24,03,959 हैं।[7] अर्थात् लगभग 24 लाख अनुसूचित जाति की महिलाएँ हरियाणा राज्य में निवास करती है। अनुसूचित अर्थात दलित जाति की महिलाएँ जाति और लिंग के आधार पर सामाजिक विभाजन से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है महिलाओं को हिंसा का सामना करना पड़ता है हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ बड़ी संख्या में आपराधिक मामले जैसे बलात्कार यौन उत्पीड़न अपहरण आदि होते हैं अधिकांश दलित महिलाएँ ग्रामीण इलाकों में रहती हैं जिससे उनकी पहुँच शिक्षा व बुनियादी सुविधाओं से दूर है[8] हरियाणा राज्य में दलित महिलाओं की स्थिति सामाजिक तौर पर निराशाजनक रही है दलित महिलाओं को ना केवल स्वर्ण जाति के समुदाय द्वारा बल्कि दलित समुदाय द्वारा भी प्रताड़ित, शोषित किया जाता है दलित महिलाएँ तिगुनी तरह की हिंसा का शिकार होती है महिला होने के नाते, जातिगत व गरीब होने के नाते। दलित महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों की खबरें आए दिन देखी व पढ़ी जाती है हरियाणा उन राज्यों में शामिल हैं जो महिलाओं और दलितों के खिलाफ अपराधों की कम दर का दावा करता है लेकिन प्राप्त आंकड़े दर्शाते हैं कि दलित महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या घटने के स्थान पर और बढ़ी है।[9] हरियाणा में अनुसूचित जाति की 37 श्रेणियां हैं और इन सभी श्रेणियों में 48 प्रतिशत के आसपास अनूसूचित जाति में चमार, जटिया चमार, रहगर, रैगर, रामदासी, रविदासी, बलही, बटोई, भटोई, भांबरी, जाटव आते हैं दूसरा सबसे अधिक संख्या वाली श्रेणी वाल्मिकी है जो हरियाणा की लगभग 19 प्रतिशत अनुसूचित जाति की जनसंख्या का हिस्सा है वाल्मीकि जाति का मुख्य पेशा मैला उठाना, सफाई का कार्य करना, कूड़ा कर्कट आदि है। हरियाणा में दलित महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर सोच विचार करने के लिए दलित महिलाओं की स्थिति जैसे अपराधिक स्तर, बुनियादी सुविधाओं की सिथति का स्तर, शिक्षा का स्तर देखना आवश्यक है।

बुनियादी सुविधाएँ और दलित महिला

तालिका 1.1

---

5 से अनुकूलित – ''ए स्टडी ओन इश्यू एंड चैलेंज इन द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ दलित वीमेन इन इंडिया'', डॉ. एन. के. भुवनेश्वरी, डॉ. एस. प्रभु, फरवरी 2020, द इंटरनेशनल जनरल ओफ एनालिटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल मॉडल एनालिसिस, वॉल्यूम–XII इश्यू–II पेज –1026–1027 https://www.researchgate.net/publication.

6 से –''दलित अस्मिता की राजनीति'', पेज –41, परवेश कुमार, 2011, दिल्ली, मानक पब्लिकेशन।

7 से –''स्टैटिकल एब्स्ट्रेक्ट ऑफ हरियाणा'', डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक एंड स्टेटिकल एनालिसिस हरियाणा, 2020–21, https://web1.hey.nic.in

8 से अनुकूलित –''पलाइट ओफ दलित वीमन इन इंडिया'', डॉ शौकीन हसीन, नेहा गोयल, 2017, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च, वॉल्यूम–04 इश्यू–13, पेज–248–254,, https://edupediapublications.org/journal

9 से अनुकूलित –''समकालीन हरियाणा में अत्याचार के रूप में बलात्कार'', इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, वॉल्यूम–50, अंक संख्या–44, अक्टूबर 2015, https://www.eqw.in

© INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS
Refereed & Peer Reviewed International Journal
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 09 , Issue : 02 | January - March 2023
SPECIAL EDITION: INTERNATIONAL CONFERENCE
Lala Hansraj Puthela College of Law Sirsa

घरेलू कार्य	ग्रामीण	शहरी	कुल
बाथरूम के बिना	32.6	16.1	27.5
रसोई के बिना	60.7	38	53.6
शौचालय के बिना	54.6	23	44.8
पेयजल स्त्रोत का दूर होना	16	8.7	13.8
LPG/CNG का उपयोग	11.5	54.9	25
बैंकिंग सेवाएँ	58.3	54.3	57.1

स्त्रोतः जनगणना 2011

2011 की जनगणना के अनुसार 27.5 प्रतिशत दलितों के कुल परिवारों में बाथरूम की सुविधा और 44.8 प्रतिशत महिलाओं को शौचालय की सुविधा न होने की वजह से दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। 13.8 प्रतिशत महिलाओं की पहुँच पेयजल स्त्रोतों से दूर है इन सब सुविधाओं की वजह से ही दलित महिलाओं का स्वास्थ्य गिरता है महिलाएँ खुले में सोच करती है जिसे महिलाएँ कई बीमारियों का शिकार हो जाती है ये प्रथाएँ इलाकों में ज्यादातर देखने को मिलती है क्योंकि गरीब होने के कारण बुनियादी सुविधाएँ महिला महिलाओं की पहुँच से बहुत दूर है।[10]

साक्षरता दर और दलित महिला

तालिका : 1.2

जनगणना वर्ष	कुल जनसंख्या			अनुसूचित जाति		
	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
1971	37.29	14.89	26.89	20.88	03.09	12.60
1981	48.02	22.03	36.14	31.45	07.60	20.15
1991	69.10	40.47	55.85	52.06	24.15	39.22
2001	78.50	55.71	67.91	66.93	42.26	55.45
2011	84.05	65.94	75.55	75.92	56.64	66.85

स्त्रोतः भारत की जनसंख्या, वैरियर्स इश्यू

तालिका के अनुसार अनुसूचित जातियों में साक्षरता दर 1971 में 12.60 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 55.45 प्रतिशत और 2011 में 66.85 प्रतिशत हो गई लेकिन अभी भी 33.15 प्रतिशत अनुसूचित जाति की आबादी इस बुनियादी और आवश्यकता से वंचित है पुरूषों और महिलाओं की साक्षारता दर में भी बहुत अधिक अंतर है। 1971 में अनुसूचित जाति के पुरूषों और महिलाओं की साक्षरता दर 20.88 प्रतिशत और 3.09 प्रतिशत थी जो 2011 में बढ़कर 75.92 प्रतिशत और 56.64 प्रतिशत हो गई दूसरी ओर समग्र साक्षरता दर 1971 में 26.89 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 75.55 प्रतिशत हो गई इस प्रकार शिक्षा प्रापत करने में अनुसूचित जाति की महिलाओं का स्तर अन्य पुरूष, महिलाओं में अनुसूचित जाति के पुरूषों से भी कम है इसका मुख्य कारण निम्न स्तर का जीवन सतर, अपर्याप्त आय और गरीबी है।[11]

हरियाणा में अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध/ अत्याचार

तालिका : 1.3

वर्ष	अपराधों की संख्या
2017	762
2018	961
2019	1086
2020	1210
2021	1628

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में दो वर्षों में अनूसूचित जातियों के खिलाफ अपराध व अत्याचार से संबंधित मामलों में 50 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि देखी गई है जो 2019 में 1086 से बढ़कर 2020 में 1210 व 2021 में 1628 हो गई हरियाणा में 2021 में अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 1496 मामले दर्ज किए

10 से अनुकूलित –''पलाइट ऑफ दलित वीमन इन इंडिया'', डॉ शौकीन हसीन, नेहा गोयल, 2017, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च, वॉलयूम–04, इश्यू–13, पेज –248–254, https://edupediapublications.org.journal

11 से अनुकूलित –''इकोनामी कंडीशन ऑफ शेडयूल कास्ट इन हरियाणा'', रघुनाथ, इंटरनेशनल जर्नल फॉर इनोवेशनश रिसर्च इन मल्टीडिसिप्लिनरी फिल्ड, वॉलयूम–3 इश्यू–6, पेज –645–646, https://www.ijirmf.com/wp-content/upload/2017/06/201706011.pdf.

© INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS
Refereed & Peer Reviewed International Journal
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 09 , Issue : 02 | January - March 2023
SPECIAL EDITION: INTERNATIONAL CONFERENCE
Lala Hansraj Puthela College of Law Sirsa

गये। एक ही साल में हत्या के 53 और हत्या के प्रयास के 27 मामले दर्ज की गई साथ ही 270 FIR अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के दर्ज किए गए यौन उत्पीड़न के लिए दर्ज मामलों की संख्या 77 थी।[12]

हरियाणा में विभिन्न समूहों के बीच गरीबी की सीमा

तालिका : 1.4

वर्ष	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		कुल	
	सभी समुदाय	अनुसूचित जाति	सभी समुदाय	अनुसूचित जाति	सभी समुदाय	अनुसूचित जाति
1993–94	40.2	62.7	24.2	41.8	36	58.8
2004–05	24.8	47.5	22.4	46.9	24.2	47.4
2009–10	18.6	33.6	23	48.3	19.9	37.8
2011–12	11.6	23.6	10.3	25.9	11.2	24.1

तालिका से स्पष्ट होता है कि समय के साथ साथ अनुसूचित जातियों की गरीबी के स्तर में ज्यादा फर्क नहीं आया है इसलिए गरीबी के मामले में अनुसूचित वर्ग पीड़ित रहा है ये समुदाय गरीबी के इस चक्कर को तोड़ने में असमर्थ रहा है गरीबी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति की महिलाओं के संपूर्ण विकास को प्रभावित करती है। गरीब होने के कारण वें अपने परिवार का और अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास नहीं कर सकती और अन्य समूहों द्वारा शोषण हिंसा का शिकार होते हैं।[13]

दलित महिलाएँ और शोषण

कुछ प्रकार की हिंसा व शोषण दलित महिलाओं के लिए परंपरागत रूप से आरक्षित की गई है जैसे चरम गंदगी, दुर्व्यवहार और योन प्रसंग, नग्न परेड मलमूत्र उठाने के लिए मजबूर करना, ब्रांडिंग, जीभ और नाखूनों से खींचना, हत्या या हिंसा दलित महिलाओं द्वारा ही अनुभव की जाती है इसके साथ बलात्कार की घटनाएँ दलित महिलाओं के साथ न केवल उच्च जातियों द्वारा की जाती है बल्कि यौन उत्पीड़न व बलात्कार की घटनाएँ उनके अपने समुदाय के भीतर भी की जाती है बिन्देश्वर एम. प्रसाद अपनी पुस्तक ''दलित वीमेन फियर एंड डिस्क्रिमिनेशन'' में लिखते हैं। दलित महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के नौ प्रमुख रूप है समुदाय में छः प्रकार की समान्य हिंसा जैसे शारीरिक हमला मौखिक दुर्व्यवहार यौन हमला बलात्कार यौन शौषण जबरन वश्यावृति अपहरण और परिवार में तीन प्रकार की हिंसा जैसे कन्या भ्रूण हत्या और शिशुहत्या, बाल यौन शोषण, घरेलू और विवाहित प्रकार के सदस्यों द्वारा घरेलु हिंसा दलित महिलाओं के विरूद्ध।[14] हिंसा के अधिक प्रचलित रूप में अवरोही क्रम में मौखिक दुर्व्यवहार शारीरिक हमला यौन उत्पीड़न घरेलू हिंसा बलात्कार शामिल है बाल यौन शोषण विशेष रूप से बाल विवाह और नाबालिगों के साथ यौन संबंध भी शामिल है हिंसा का स्थान अधिकांश दलित महिलाओं का अपना कस्बा या अपना गाँव और आस पास सार्वजनिक स्थानों जैसे गलियों खेत खलिहानों आदि में होता है हिंसा के लिए अगली सबसे आम जगह घर के भीतर है घरेलू हिंसा के अलावा कई महिलाओं को शारीरिक हमले मौखिक दुर्व्यवहार उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है और गैर पारिवारिक सदस्यों द्वारा भी अपने घर में यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है हिंसा के सामान्य स्थानों के मामलों में कार्यस्थल ही हिंसा तीसरे स्थान पर है और अंत में पुलिस थाने में यौन उत्पीड़न बलात्कार के लिए सरकारी स्थान हिंसा के आधार बन जाते हैं और पुलिस जिला प्रशासन के अधिकारी और डॉक्टर सहित कई सरकारी नेताओं द्वारा मौखिक दुर्व्यवहार हिंसा का सबसे आम रूप हैं दलित पुरूषों के लिए दलित महिलाओं का दमन व बलात्कार समाज में अपनी शक्ति की कमी की भरपाई करने का तरीका हो सकता है इसके साथ साथ मंदिरों में वैश्यावृत्ति देवदासी प्रणाली दलित महिलाओं के शोषण का सबसे बुरा व चरम रूप है दलित बालिकाओं को वेश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर किया जाता है ये महिलाएँ सामूहिक बलात्कार का शिकार होती है दलित महिलाएँ अनपढ़ होने के कारण अपने अधिकारों और कानूनों से भी अनजान होती है और उनकी अज्ञानता का फायदा पुलिस और उनके विरोधी उठाते हैं[15] पिछले दिनों उत्तर प्रदेश हाथरस में 19 साल की एक दलित युवती के साथ गैंग रेप और हत्या का मामला ऐसे ही सुर्खी बनकर आया और एक बार फिर दलितों के उत्पीड़न पर सवाल उठने लगी की आजादी के 70 साल बाद भी दलित समुदाय समानता के लिए संघर्ष कर रही है।[16] स्वाभिमान सोसाइटी और इक्वेलिटी नाव द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में हर दिन चार महिलाओं के साथ बलात्कार होता है रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि उच्च जातियों के द्वारा जानबूझकर दलित महिलाओं को अपनी हिंसक घटनाओं को निशाना बनाया जाता है क्योंकि

12 से अनुकूलित – एक्सप्रेस न्यूज सर्विस (2022 अगस्त 31), ''हरियाणा रिकॉर्ड 50 प्रतिशत जम्प इन एफआइआर अगेंस्ट अनुसूचित जाति'', https://indianxpress.com

13 से अनुकूलित – ''शोशो इकोनॉमी कंडीशन ऑफ शेडयूल कास्ट इन हरियाणा'', रघुनाथ, इंटरनेशनल जर्नल फॉर इनोवेशनश रिसर्च इन मल्टीडिसिप्लिनरी फिल्ड, वॉल्यूम–3 इश्यू–6, पेज–645–646, https://www.ijirmf.com/wp-content/upload/2017/06/201706011.pdf.

14 से अनुकूलित – ''दलित वीमेन फियर एंड डिस्क्रिमिनेशन'', पेज –87–88, बिन्देश्वर एम. प्रसाद, 2020, दिल्ली, ए बी डी पब्लिशर्स।

15 से अनुकूलित – ''भारत में दलित महिलाओं की दयनीय स्थिति एक राजनीतिक विश्लेषण'', मिथिलेख कुमार, 2020, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस अकैडमिक स्टडीज, वॉल्यूम–16, पेज –690–691 https://www.allstudyjournal.com/article/269/2-3-174-799.pdf.

16 से अनुकूलित – ''दलित हिंसा : तमाम कानूनों के बावजूद क्यों नहीं लगती लगाम'', कमलेश, 2020, www.bbc.com

© INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS
Refereed & Peer Reviewed International Journal
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 09 , Issue : 02 | January - March 2023
SPECIAL EDITION: INTERNATIONAL CONFERENCE
Lala Hansraj Puthela College of Law Sirsa

उनहें पता होता है कि उनहें क्लीन चिट मिल जाएगी रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में दलित महिलाओं के साथ हुई बलात्कार के मामलों में आंकड़े तैयार किए गए 80 प्रतिशत अपराध उच्च जातियों के पुरूषों के द्वारा किए जाते हैं और 57.5 प्रतिशत मामलों में सामाजिक दबाव मामलों का निपटारा पीड़िता के परिवार को डराना न्याय के रास्ते में बाधा उत्पन्न करना पाया गया है। इक्वालिटी नाउ की रिपोर्ट कहती है कि भारतीय संविधान में दलितों को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जाति के रूप में नामित किया गया है और ये जाति सबसे निचली जाति मानी जाती है दलित महिलाओं के साथ लिंग आधारित हिंसा के मामले लिंग जाति और वर्ग का अंतसंबंध आमतौर पर अदृश्य रहता है दलित महिलाओं के लिए कानूनी व्यवस्था तक पहुँचना और न्याय प्राप्त करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है यूँ तो संविधान समानता के अधिकार, कानून के समक्ष संरखण की बात का वर्णन करता है और धर्म, जाति, के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकने की बात करता है लेकिन दलित महिलाओं के साथ होती हिंसा, शोषण, बलात्कार की घटनाएँ लगातार संविधान के अधिकारों के नियमों पर सवाल उठाते हैं कि आखिर ये सुरक्षा और अधिकार दलित महिलाओं को क्यों नहीं मिल पाती और क्यों अधिकार उनकी पहुँच से दूर हो जाते हैं।[17]

संविधानिक और मौलिक अधिकार

भारत में संविधान द्वारा सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए जाते हैं संविधान में दलित समुदाय और महिलाओं को कमजोर वर्ग का हिस्सा मानते हुए कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है जिसमें सभी वर्गों समुदाय को समान अधिकार देने की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 14 कानून के समस्त समानता व कानून के समान संरक्षण के बात करता है अर्थात् कानून के आगे सभी नागरिक समान है और कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता की बात की गई है अर्थात् जाति धर्म, लिंग अथवा जन्मस्थान या किसी आधार पर राज्य द्वारा किसी भी समुदाय को सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा नागरिकों को किसी भी स्थान पर बसने मनोरंजन स्थल पर जाने व घाट सार्वजनिक पार्क आदि में जाने से नहीं रेका जाएगा।[18] अनुच्छेद 15(3) में राज्यों को स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध करने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 15(4) राज्यों को सामाजिक और शिक्षात्मक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष उपबंध करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के अवसरों की समानता की बात करता है अर्थात् सभी नागरिकों को चाहे कोई अनुसूचित जाति से हो, महिलाओं को अवसर की समानता दी जाएगी। किसी भी नियुक्ति के लिए जाति धर्म लिंग अथवा जन्मस्थान की भिन्नता नहीं होगी।[19] अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन अर्थात अस्पृश्यता से पैदा होने वाली कोई भी अशक्ती कानून के आगे समस्त रूप से दंडनीय थे अपराधिक होगी शोषण के विरूद्ध अधिकार–बेगार व मानव व्यापार का निषेध अनुच्छेद 23 अर्थात् मानव जाति का व्यापार बेगार के कार्य प्रतिबंधित किए जाएंगे तथा दंडनीय माने जाएँगे। अनुच्छेद कारखानों इत्यादि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं लगाया जाएगा अथवा अन्य किसी जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 25 धर्म के अंत करण के स्वतंत्रता और स्वतंत्र आस्था धार्मिक आचरण अपनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का वर्णन करता है अन्य संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 39(घ) महिलाओं और पुरूष दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है अनुच्छेद 45 बच्चों का निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का वर्णन करता है अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों का वर्णन करता है अर्थात राज्य जनता के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक में आर्थिक हितों पर खास ध्यान देकर उन्हें बढ़ावा देगा और विशेष रूप से अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखेगा और सामाजिक अन्याय से उनकी रक्षा करेगा। अनुच्छेद 330 लोकसभा में सीटों के आरक्षण भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति जन जाति के लोगों की राजनीति में भागीदारी बढ़ाने के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 332 में विधान सभा में अनुसूचित जाति जन जाति के लोगों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है।[20]

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989

11 सितंबर 1989 को भारतीय संसद द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के संरक्षण और उनको उत्पीड़न से बचाने के लिए अनुसूचित जाति व जन जाति अत्याचार निरोधक अधिनियम बनाया। यह अधिनियम प्रत्येक उस व्यक्ति पर लागू होता है जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है तथा वह व्यक्ति इस वर्ग के सदस्यों का उत्पीड़न करता है। इस

---

17 से अनुकूलित – ''हरियाणा में यौन हिंसा से पीड़ित दलित महिलाएँ न्याय से दुरः यौन हिंसक तीव्रता में चौतरफा भेदभाव,'' स्वाभिमान सोसाइटी; इक्वालिटी नाओ, https://d3H898pro7vhmy.cloudfront.net/equalitynow/pages/3484/attachmenta/originals/1606251132/EN-haryana-report.

18 से अनुकूलित – ''महिला और कानून'', पेज –55, सरिता वशिष्ठ 2010, दिल्ली, कल्पना प्रकाशन।

19 से अनुकूलित – ''भारतीय संविधान मध्यकालीन जातिगत निम्न एवं उच्च वर्गों पर आधारित सामाजिक भेदभाव,'' https://bccomm.mp.gov.in

20 से अनुकूलित – ''दलित और कानून'' पेज –18–21, गिरीश कुमार कॉलिन गोनसालिवस, 2010, नई दिल्ली हयूमन राइट्स लॉ नेटवर्क, https://www.slic.org.in

© INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS
Refereed & Peer Reviewed International Journal
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 09 , Issue : 02 | January - March 2023
SPECIAL EDITION: INTERNATIONAL CONFERENCE
Lala Hansraj Puthela College of Law Sirsa

अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने वाले व्यक्ति को 6 महीने से 5 साल की सजा, अर्थ दंड का प्रावधान है और क्रूरतापूर्ण हत्या के अपराध के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है।[21]

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 द्वारा स्थापित किया गया एक संवैधानिक निकाय हैं जिसे 89वें संवैधानिक संशोधन 2003 द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु घटित दो अलग अलग राष्ट्रीय आयोग ने वर्ष 2004 में विभाजित कर दिया गया और वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का और अनुच्छेद 338 (क) के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है।

संरचना

- अध्यक्ष
- उपाध्यक्ष
- तीन अन्य सदस्य

अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा की जाती है।

कार्य

1. अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित मामलों की जाँच करना व सुनवाई करना और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करना।
2. अनुसूचित जातियों के लिए किए गए कार्यों की रिपोर्ट प्रति वर्ष राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना।
3. सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं पर केंद्रीय राज्य सरकारों को सलाह देना।22

राष्ट्रीय महिला आयोग

भारत की संसद ने 1990 में अधिनियम के अंतर्गत 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना एक सांविधिक निकाय के रूप में की महिला आयोग महिलाओं के संवैधानिक हितों की रक्षा और उनके लिए कानूनी उपायों को लागू करती है।

कार्य

1. भेदभाव व महिलाओं के प्रति अत्याचार के कारण उठने वाली विशेष समस्याओं अथवा परिस्थितियों की सिफारिश करने के लिए अवरोधों की पहचान करना संशोधनों की सिफारिश करना।
2. कानूनों में कमी अपर्याप्तता को दूर करने के लिए उपाय बताना।
3. महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रभावशाली कानूनों के कार्यान्वयन के लिए सरकार को सिफारिश करना।

इसके अलावा आयोग को महिला की रक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जाँच करने के लिए सिविल न्यायलय की शक्तियाँ प्रदान की गई है।[23]

सुझाव व निष्कर्ष

दलित महिलाएँ हमारे समाज का एक कमजोर हिस्सा है जिन्हें तिहरे रूप से शोषण का शिकार होना पड़ता है। महिला होने के नाते, दलित होने के नाते और गरीब होने के नाते। हरियाणा में अनुसूचित जाति के साथ होने वाले अपराध के आँकड़े बताते हैं कि दलित समुदाय के साथ आज भी जाति के नाम पर हिंसा की घटनाएँ होती है हरियाणा को सामूहिक रेप का स्थल माना गया है। 2019 की राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में प्रति लाख जनसंख्या पर 1.17 मामलों के साथ 159 सामूहिक बलात्कार के मामले दर्ज किए गए हैं यह राजस्थान के बाद दूसरे स्थान पर आता है दलित महिलाएँ भारतीय समाज के सबसे निचले पायदान पर आती है जहाँ उन्हें समाज में हिंसा व शोषण का सामना न केवल अपने समुदाय द्वारा बल्कि स्वर्ण जातियों द्वारा भी करना पड़ता है। ज्यादातर दलित महिलाएँ अशिक्षित हैं और अपने अधिकारों व कानूनों से अनजान है इसलिए आज भी ये वर्ग अस्पृश्यता की मार को झेलता है और समाज में अन्य वर्गों द्वारा प्रताड़ित होता है हमारी देश में दलित मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाएँ लगातार बढ़ती जा रही है दलित महिलाओं की उल्लंघन, उनकी प्रताड़ना, उत्पीड़न, यौन शोषण या निमर्म हत्या करना अन्य घटनाएँ आए दिन समाचार पत्र की सुर्खियाँ बनी रहती है सरकार द्वारा इन सभी घटनाओं पर काबू पाने के लिए अनेक कानून बनाए गए परंतु इन कानूनों को गंभीरता से लागू नहीं किया जाता। कारण की शासक वर्ग किसी विशेष जाति पर पक्षधर होता था वह अपनी जाति को बचाने के लिए दलितों पर मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं उठाता और कानूनों का खुलेआम उल्लंघन होता है इसमें पुलिस और प्रशासन भी पीछे नहीं रहते।[24]

---

21 से अनुकूलित – ''अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम 1989'', https://him.wikipedia.org

22 ''राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग'', 1989'', https://www.dhyeyaisa.com

23 ''राष्ट्रीय महिला आयोग'', https://wikipedia.org.in

24 ''दलित अधिकार एवं व्यवहार'', पेज –71, डॉ. महेन्द्र कुमार मिश्रा, 2011, दिल्ली, एजुकेशन पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स।

खुलेआम उल्लंघन होता है इसमें पुलिस और प्रशासन भी पीछे नहीं रहते।[25] सरकार को दलित महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है और दलित महिलाओं के लिए अलग से कानून व नीतियाँ बनाने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ गैर सरकारी संगठनों को दलित महिलाओं की समस्याओं को हल करने के लिए बढ़ावा देना और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग महिला आयोग द्वारा भी इस वर्ग के लिए कढ़ाई से मामलों की जाँच करना व इनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक सिफ़ारिशें करनी चाहिए ताकि ये वर्ग अपने अधिकारों व कानूनों के प्रति जागरूक हो सकें।

संदर्भ सूचीः–

1. नाटानी, प्रकाश नारायण, ''मानवाधिकार और कर्त्तव्य'', जयपुर, अविष्कार पब्लिशर, जयपुर, 2003।
2. कोठारी, अनीता, ''भारतीय समाज एवं मानवाधिकार'', आदि पब्लिकेशन, जयपुर, 2010।
3. भुवनेश्वरी, डॉ. एन. के., प्रभु, डॉ. एस, ''ए स्टड़ी ओन इश्यू एंड चैलेंज इन द प्रोटेक्शन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स ऑफ़ दलित वीमेन इन इंडिया'' फरवरी 2020, द इंटरनेशनल जनरल ऑफ एनालिटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल मॉडल एनालिसिसि, वॉल्यूम–XII इश्यू– II https://www.researchgate.net/publication.
4. कुमार, उत्तम, बागड़े, एस. ''ह्यूमन राइट पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन दलित'', 2020, जर्नल ऑफ लो एंड कॉनफ्लीकट रैजुलयुशन, वाूल्यूम–b11(2) https://academicjournals.org/journal/JLCR/article-full-text-pdf/CF4D40964938
5. कुमार, परवेश, ''दलित अस्मिता की राजनीति'', मानक पब्लिकेशन, दिल्ली, 2011।
6. डिपार्टमैंट ऑफ इकनॉमिक एंड स्टेटिकल एनालिसिस हरियाणा, ''स्टैटिकल एब्स्ट्रेक्ट ऑफ हरियाणा'', 2020–21, https://web1.hey.nic.in
7. हसीन, डॉ शैकीन, गोयल, नेहा, ''पलाइट ऑफ दलित वीमन इन इंडिया,'' 2017, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च, वॉल्यूम–04 इश्यू–13 https://edupediapublications.org/journal
8. ''समकालीन हरियाणा में अत्याचार के रूप में बलात्कार'', इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, वॉल्यूम–50, अंक संख्या–44, अक्टूबर 2015, https://www.epw.in
9. रघुनाथ, ''इकोनॉमी कंडीशन ऑफ शेडयूल कास्ट इन हरियाणा'', इंटरनेशनल जर्नल इनोवेशनश रिसर्च इन मल्टीसिप्लिनरी फिल्ड, वॉल्यूम–3 इश्यू–6, पेज पृष्ठ 645–646, https://www.ijjirmf.com/wp-content/upload/2017/06/201706011.pdf.
10. प्रसाद, बिन्देश्वर एम, ''दलित वीमेन फियर एंड डिस्क्रिमिनेशन'', ए बी डी पब्लिशर्स, दिल्ली, 2020।
11. कुमार, मिथिलेश, ''भारत में दलित महिलाओं की दयनीय स्थिति एक राजनीतिक विश्लेषण'', 2020, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस अकैडमिक स्टडीज़, वॉल्यूम–16, पेज पृष्ठ–690–691, https://www.allstudyjournal.com/article/269/2-3-174-799.pdf
12. कमलेश, ''दलित हिंसाः तमाम कानूनों के बावजूद क्यों नहीं लगती लगाम'', 2020, www.bbc.com
13. ''हरियाणा में यौन हिंसा से पीड़ित दलित महिलाएँ न्याय से दुरः यौन हिंसक तीव्रता में तौतरफा भेदभाव,'' स्वाभिमान सोसाइटी, इक्वालिटी नाओ, https://d3H898PRO7vhmy.cloudfront.net/equalitynow/pages/3484/attachmenta/originals/1606251132/EN-haryana-report
14. वरिष्ठ, सरिता, ''महिला और कानून'', कल्पना प्रकाशन, दिल्ली, 2010।
15. ''भारतीय संविधान मध्यकालीन जातिगत निम्न एवं एच्च वर्गों पर आधारित सामाजिक भेदभाव'', https://bccomm.mp.gov.in
16. कुमार, गिरिश, गोनसालिवस, कॉलिन, ''दलित और कानून'', ह्युमन राइट्स लॉ नेटवर्क, नई दिल्ली, 2010 https://www.slic.org.in
17. 'अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम 1989'', https://him.wikipedia.org
18. ''राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग'', https://www.dhyeyasia.com
19. ''राष्ट्रीय महिला आयोग'', https://wikipedia.org.in
20. मिश्रा, डॉ. महेन्द्र कुमार, ''दलित अधिकार एवं व्यवहार'', एजुकेशन पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली, 2011

[25] ''दलित अधिकार एवं व्यवहार'', पेज –71, डॉ. महेन्द्र कुमार मिश्रा, 2011, दिल्ली, एजुकेशन पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स।